न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
31/2018	24.07.2018	18.05.2026

1. गप्पुलाल पुत्र छुट्टन मीना निवासी ईसदड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।

वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. सुरेश पुत्र रामचरण गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. बत्तू पुत्र शंकर गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. हल्के पुत्र गोली गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. सत्तु उर्फ सत्यनारायण पुत्र रतना गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
6. लक्खू पुत्र रामचरण गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
7. कंवरचन्द पुत्र छुट्टन मीना निवासी ईसदड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
8. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार।

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

श्री अंजनी कुमार तेहरिया, धर्मेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

   - यह है कि वादी ग्राम ईसरड़ा की झोपडी का गरीब अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है। तथा प्रतिवादीगण 1 लगभग 6 ग्राम कानरदा की झोपड़ी तहसील सपोटरा के लठेत बदमाश, थौक बन्द गिरोह के व्यक्ति हैं। तथा प्रतिवादी सं. 7 सह खातेदार है। इसलिए फोरमल पक्षकार बनाया है। तथा प्रतिवादी सं. 8 तहसीलदार खण्डार है। जिन्हें फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

   - यह कि आराजी ख.नं. 995/10 रकबा 3 बीघा बाँके ग्राम कुरेड़ी तहसील खण्डार के स्थित है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। तथा उपरोक्त आराजी का 1/2, 1/2 हिस्से का बंटवारा होकर तरमीम हो रही है। तथा दोनों भाई अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

   - यह कि उपरोक्त आराजीयात का 1/2 भाग पर वादी अपनी खातेदारी के मुताबिक अपनी भूमि को काश्त करता हुआ चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का कोई वास्ता व सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के बदयान्ती आ जाने से तथा बाहुबल के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि इस तेरी सारी जमीन को हम ही जोतेगें। इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिनांक 15/07/2018 को वादी ग्राम कुरेड़ी में अपनी जमीन की

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

हांक जोत साल सम्भल करने गया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने ऐलानिया धमकी दी कि आज तो तू यहाँ आ गया आईन्दा इस गाँव में तू नजर आया तो तेरे हाथ पैर तोड देंगे। गाँव में उपस्थित गवाहान ने प्रतिवादीगण को समझाया। तब जाकर प्रतिवादीगण माने। प्रतिवादी गण 1 लगायत 6 का उक्त आराजी से कोई वास्ता व सम्बन्ध नहीं है।

- यह कि वादी को अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहने का पूर्ण अधिकार है। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को वादी को काश्त करने से रोकने का अधिकार नहीं है। तथा वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की जाने मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे यही कारण है कि दावा पेश करना लाजमी आया।
- यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 सहखातेदार है। इसरो कोई रिलिफ नहीं चाही है।
- यह कि विनाय दावा दिनांक 15.07.2018 को वादी को काश्त करने से रोकने के लिए दिन से हद हदूद वाला उत्पन्न हुआ।
- उक्त वादपत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है।
- उक्त दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।
- यह है कि दावा खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें।

  (क) वादपत्र के मद संख्या 2 में वर्णित भूमि आराजी वाकें ग्राम कुरेडी में स्थित भूमि पर दौराने वाद प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 कब्जा करने मे सफल हो गये तो उन्हे उक्त भूमि से हटाया जाकर वेदखल किया जावें।

  (ख) प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाये कि वह वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त भूमि वादपत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित में किसी प्रकार की माने मजाहमत न तो स्वंय करें न ही अन्य से करावें।

  (ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी 1 लगायत 6 से दिलवाया जावें।

  (घ) अन्य दादरसी

2. वादी के दावा को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामिल उपस्थिति नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

3. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गयें एवं मौखिक साक्ष्य पेश की जिसमें PW1 के रूप में गप्पुलाल पुत्र छुट्टन मीना के बयान लिए तथा नकल खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 वांके ग्राम कुरेड़ी पेश की गई जो प्रदर्श–1 है, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 पेश की गई जो प्रदर्श– 2 है।

4. पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, बयान, तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 खसरा नम्बर 995/210 अनुसार वादी गप्पुलाल हिस्सा 1/2 भाग का अभिलिखित खातेदार है। खसरा गिरदावारी प्रदर्श–2 अनुसार वादी द्वारा सम्वत् 2074 में उड़द व चना काश्त होना अंकित है। उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार है व उक्त भूमि पर काबिज है। वादी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 15.07.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा उसे अपनी जमीन पर काश्त करने के समय धमकी दी गई। अभिलिखित खातेदार अधिकारों के संरक्षण हेतु दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

करने के अधिकारी है। यदि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादी की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी परिस्थिति में वादी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत अपने वाद पत्र को साबित करने में सफल हुआ है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

5. वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 995/210 वांके ग्राम कुरेडी में उनके हिस्से 1/2 तक किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों। निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डार

इजलासः— वर्षा मीना आर0ए0एस0

उनवान

1. गप्पुलाल पुत्र छुट्टन मीना निवासी ईसदड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।

वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. सुरेश पुत्र रामचरण गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. बत्तू पुत्र शंकर गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. हल्के पुत्र गोली गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. सत्तु उर्फ सत्यनारायण पुत्र रतना गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
6. लक्खू पुत्र रामचरण गुर्जर निवासी कानरदा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
7. कंवरचन्द पुत्र छुट्टन मीना निवासी ईसदड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।
8. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार।

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 31/2018 वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री धर्मेन्द्र चौधरी, श्री अन्जनी कुमार तेहरिया की उपस्थित में इस वाद के आज तारीख 18.05.2026 को वर्षा मीना आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 995/210 वांके ग्राम कुरेडी में उनके हिस्से 1/2 तक किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.05.2026 को जारी किया गया।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदेशों के लिए स्टाम्प रूपयें दर प्लीडर की फीस सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील			शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)